हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-1/2023 Dated: Shimla-171 002, the 24-06-2023

ORDER

Subject:- Diversion of 85.3903 ha of forest land in favour of ITBP, for the construction of Namgia Dogri- Lukma road from Kms. 0/00 to 31/43, by CPWD, within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division Distt. Kinnaur, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/36921/2018)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः FC/HPC/06/04/2022, दिनांक 22.06.2023 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **85.3903 है0** वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

   प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 85.3906 है0 वन भूमि UF, C-231, Kalpa Range=5 ha; UF, C-236 Kalpa Range=5 ha; UF, C-187, Morang (Akpa) Range=5 ha; UF, C-187, Morang (Akpa) Range=5 ha; UF, C-193, Morang (Akpa) Range=5 ha; UF Kharogla, Kilba Range=5 ha; C 248 Homte, Kalpa Range=15 ha; NC 28, Kalpa Range=13 ha; UF Gorangdhan, Kalpa Range=5 ha; UF Kachhidarang, Kalpa Range=2 ha; UF Lalen, Morang (Akpa) Range=10 ha; UF Lappo, Morang (Akpa) Range=5 ha; UF Thach, Nichar Range=5 ha; NC-14, Nichar Range=1 ha Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

DFO FCA
27/6/2023
APCCF (FCA)

4. हि0प्र0 वन विभाग, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 08.02.2023 की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.**
7. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला क्लेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
8. H.P. Forest Department shall ensure to implement the recommendations suggested in the geological report submitted by IIT Roorke for the extant project.
9. Since the Soil and Moisture Conservation Plan is not prepared by the State Government so far and a lump sum amount of 0.5% of the project cost has been deposited in CAMPA fund, therefore State Forest Department shall ensure to prepare the Soil and Moisture Conservation Plan and deficit amount, as per said plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the Forest area. **The compliance of the same alongwith a copy of Soil and Moisture Conservation Plan be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India, Shimla.** Further State Forest Department shall ensure the effective implementation of said plan.

10. Since the Wild Life Management Plan is not prepared by the State Government so far and an lump sum amount of 2.0% of the project cost has been deposited in CAMPA fund, therefore State Forest Department shall ensure to prepare the Wild Life Management Plan and deficit amount, as per said plan, if any, from the money already realized to the tune of 2.0% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. **The compliance of the same alongwith a copy of Wild Life Management Plan be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India, Shimla.** Further State Forest Department shall ensure the effective implementation of said plan.
11. प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई आर सी मानदण्डों के अनुसार, सड़क के दोनों किनारों जहां–जहां सम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी।
14. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति–अवरोधक लगाए जाएंगे।
15. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।

19. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

21. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

22. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख–रेख में ही पूरा किया जाएगा। **मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।**

24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

26. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, 24-06- 2023

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Director General, ITBP, 3rd Floor, 2nd Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
4. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
5. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
6. The Deputy Commissioner, Kinnaur, District Kinnaur, Himachal Pradesh.
7. Divisional Forest Officer, Kinnaur Forest Division, District Kinnaur, H.P.
8. Executive Engineer, Central Public Works Department, Khasra No. 781/547, in front of HPPWD Rest House, Reckong Peo, District Kinnaur, H.P.
9. Guard File.

(C.P. Verma, IAS)
Special Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887

❖❖❖❖❖